न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, खाजूवाला जिला बीकानेर
पीठासीन अधिकारी :– श्योराम आर.ए.एस.
राजस्व वादपत्र संख्या :–87 / 2023

1. देदाराम पुत्र नारायणराम जाति मेघवाल निवासी 7 पीएचएम खाजूवाला

..... प्रार्थी

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये राजस्व तहसीलदार खाजूवाला वगैरह

.... अप्रार्थीगण

वादपत्र अन्तर्गत धारा 111,128 एलआरएक्ट

दिनांक :– 12.06.23 –:

आदेशः–

प्रार्थना पत्र का सार इस तरह से है कि चक 7 पीएचएम ए के मु0नं0 160 / 60 का सीमाज्ञान पटवार हल्का 22 केवाईडी के पटवारी द्वारा किया गया लेकिन मु0नं0 160 / 52 की संलग्न सीमा के काश्तकारों द्वारा उक्त मु0नं0 160 / 60 का कब्जा मुझे नहीं दिया जा रहा है। अतः आपसे निवेदन है कि आप कब्जा दिलवाने व पत्थरगढ़ी करवाने का आदेश फरमाने का निवेदन किया है।

प्रकरण सीमाज्ञान (सीमाविवाद) का है इसलिए न्यायालय हाजा में धारा 111,128 एलआरएक्ट दर्ज किया गया। अप्रार्थीगण को तलवी नोटिस जारी होने पर अप्रार्थी गैरहाजिर होने के कारण एकपक्षीय सुनवाई की गई। संलग्न तहसीलदार खाजूवाला की सीमाज्ञान पत्रावली रिपोर्ट (प्रमाणित प्रति) अनुसार चक 7 पीएचएम ए मु0नं0 160 / 52 में बनी पक्की शाख को आधार मानकर जरीब द्वारा मु0नं0 160 / 60 के किला नं0 1 व 21 मे निशान दिया गया। मौके पर प्रार्थी व अन्य ग्रामवासी उपस्थित रहे तथा प्रार्थी के किला नं0 1 व 21 में लिए गए निशान से संतुष्ट थे। प्रार्थी अनुसार मु0नं0 160 / 60 का कब्जा मुझे नहीं दिया जा रहा है। बहस सुनी गई।

पत्रावली का अध्ययन व उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन किया गया । तहसीलदार खाजूवाला से चक 7 पीएचएम ए मु0नं0 160 / 60 का पुनः नियमानुसार सीमाज्ञान करवाया जाना न्यायोचित है। अतः तहसीलदार खाजूवाला को आदेश दिया जाता है कि वह चक 7 पीएचएम ए मु0नं0 160 / 60 के सीमाज्ञान हेतु पटवारीगण मय पुलिस जाब्ता टीम बनाकर संबंधित पक्षकारों सुनवाई समुचित अवसर देकर संबंधित काश्तकारों की उपस्थित में सीमाज्ञान करवाकर निशानदेही दी जावें एवं दी गई निशानदेही पर पत्थरगढ़ी नियमानुसार करवाई जावें। तहसीलदार खाजूवाला को आदेश की पालना हेतु तहरीर जारी हो।

निर्णय आज दिनांक .... को सरे इजलास सुनाया गया।

(श्योराम),
(आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी,
(खाजूवाला)